कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

पत्रांक : 2770
दिनांक : 15.07.15

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा निगम भूमि/भवन/चौक–चौराहों एवं पार्कों पर निम्न शर्त्तों के अधीन मोबाईल टावर अधिष्ठापित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है :–

(1) चौक–चौराहों पर पूर्व से अधिष्ठापित हाईमास्ट लाईट पर मोबाईल एंटीना लगाने की अनुमति संबंधित एजेन्सी को इस शर्त्त के साथ दिया जायेगा कि हाईमास्ट लाईट का संधारण एवं संपोषण उनके द्वारा निःशुल्क किया जाएगा तथा Zone A के लिये 12,000/–रू0 Zone B के लिये 10,000/–रू0 एवं Zone C के लिये 8,000/–रू0 मासिक किराया लिया जायेगा। (Zone का विवरण अनुलग्नक 'क' में संलग्न)

(2) वैसे चौक–चौराहों में, जिन पर पूर्व में हाई मास्ट अधिष्ठापित है, उसे संबंधित एजेन्सी अपने खर्च से बदल सकते है।

(3) वैसे चौक–चौराहें जिन पर पूर्व से हाईमास्ट अधिष्ठापित नहीं है वहाँ इच्छुक एजेन्सी अपने खर्च से नया हाई मास्ट अधिष्ठापित कर सकती है। शेष शर्त्ते कंडिका '1' के अनुसार यथावत् रहेंगे।

(4) पूर्व में सभी हाईमास्ट लाईट का विद्युत संयोजन रांची नगर निगम के नाम पर है, उससे संबंधित एजेन्सी को आवेदन पत्र देकर विद्युत बोर्ड से नाम Transfer करवाना होगा।

(5) हाई मास्ट लाईट के विद्युत विपत्र आदि का भुगतान संबंधित कम्पनी को करना होगा, निगम की किसी प्रकार की देनदारी नहीं होगी।

(6) पार्क में अधिष्ठापित किये जाने वाले टावर के मध्य में संबंधित कम्पनी के द्वारा हाई मास्ट लाईट की व्यवस्था की जायेगी जिसका संधारण एवं संपोषण उनके द्वारा निःशुल्क किया जायेगा तथा Zone Wise निर्धारित मासिक किराया भुगतान किया जायेगा।

(7) निगम के स्वामित्व वाले भवन एवं भूमि पर टावर अधिष्ठापित करने वाले एजेन्सी को किराया Zone Wise भुगतेय होगा।

(8) चौक–चौराहों/पार्कों में नया हाईमास्ट लाईट लगाने के पूर्व स्थल का सत्यापन नगर निगम से करवाना अनिवार्य होगा।

(9) भवन/भूमि मोबाईल टावर अधिष्ठापित करने के संबंध में निगम से प्राप्त किये जाने वाले NOC निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क आदि का भुगतान के पश्चात् निर्गत् NOC की प्रति के साथ संबंधित कम्पनी को आवेदन देना होगा।

(10) किसी परिस्थिति में यदि कम्पनी अपना मोबाईल टावर हटाना चाहती है तो टावर के साथ लगी हुई हाई मास्ट लाईट निगम की परिसंपत्ति मानी जायेगी और इसपर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(11) एक स्थल या टावर पर एक से अधिक आवेदन आने पर शेयर करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे में सभी आवेदकों की सहमति आवश्यक होगी। प्रत्येक अतिरिक्त आवेदक पर अतिरिक्त किराया लिया जाएगा जो मूल किराया का 50 प्रतिशत होगा एवं सभी आवेदकों को कुल

15/7/15.

किराया बराबर हिस्से में वहन करना होगा। प्रत्येक अतिरिक्त आवेदक को नियमानुसार NOC नगर निगम से अलग–अलग प्राप्त करना होगा।

(12) किसी भी प्रकार की वैधानिक/तकनीकी/यांत्रिक/सुरक्षा मानकों/दुर्घटना के लिये संबंधित कम्पनी उत्तरदायी होगी। निगम इसके लिये किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(13) संबंधित एजेन्सी को निगम के साथ एकरारनामा भी करना होगा।

(14) विशेष जानकारी बाजार शाखा से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

15/7/15

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

ज्ञापांक :– 2770 / दिनांक 15/07/ 2015।
प्रतिलिपि :– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/7/15

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

(अनुलग्नक ''क'')

<u>Zone की विवरणी</u>

<u>Zone-A</u>

(i) कचहरी चौक से राजेन्द्र चौक तक भाया फिरायालाल।

(ii) राजेन्द्र चौक से हीनू चौक तक भाया देवेन्द्र मांझी चौक ।

(iii) राजेन्द्र चौक से विवेकानन्द चौक तक भाया अम्बेदकर चौक।

(iV) रातू रोड चौक से कांटा टोली चौक तक भाया कचहरी चौक।

NOTE- इस रूट में पड़ने वाले पथ एवं सभी चौक के 100 मी0 के परिधि में जो क्षेत्र आएगा वह भी इसी ZONE में माना जायेगा।

<u>Zone-B</u>

(i) हिनू चौक से 100 मी0 की दूरी से प्रारंभ करते हुए **HEC** गेट तक भाया बिरसा चौक ।

(ii) HEC Gate से रातू रोड चौराहा के 100 मी0 पहले तक।

(iii) रातू रोड चौराहा से राजभवन की ओर जाने वालो सड़क के 100 मी0 छोड़कर हिन्दुस्तानी ढाबा तक भाया एल.पी.एन.सहदेव चौक।

(iV) एल.पी.एन. सहदेव चौक से कचहरी चौक से 100 मी0 पहले तक भाया SSP आवास।

(V) SSP आवास से बुटी मोड़ तक भाया करम टोली चौक।

(Vi) बुटी मोड़ से कांटा टोली चौक के 100 मी0 पहले तक।

(Vii) कांटा टोली चौक से 100 मी0 छोड़कर सुजाता चौक के 100 मी0 पहले तक भाया सीरम टोली चौक।

(Viii) सीरम टोली चौक से आवरब्रीज से 100 मी0 पहले तक भाया रेलवे स्टेषन, पटेल चौक।

(ix) पटेल चौक से सीरम टोली चौक तक।

(x) अरगोड़ा चौक से कडरू ओवरब्रीज तक।

(xi) सरजना चौक स 100 मी0 छोड़कर डंगराटोली चौक के 100 मी0 पहले तक।

(xii) फिरायालाल चौक से 100 मी0 छोडकर लालपुर चौक के 100 मी0 पहले ंतक।

(xiii) फिरायालाल से 100 मी0 छोड़कर करमटोली चौक तक

(xiv) रातू रोड चौराहा से 100 मी0 छोड़कर I.T.I बस स्टैंड तक।

NOTE :— इस रूट में पड़ने वाले पथ एवं सभी चौक के 100 मी0. के परिधि में जो क्षेत्र आएगा

वह भी इस Zone में माना जाएगा।

Zone-C

उपरोक्त दो ZONE को छोड़कर शेष प्रक्षेत्र ZONE – C में माना जायेगा।